



# पार्यानियर



दलाई लामा ने  
अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम  
का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय-10

## मौब लिंचिंग पर मौत की सजा: शाह


लोकसभा ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन प्रमुख विधेयक पारित किए

पार्यानियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में मौब लिंचिंग का आपाध करने वालों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाल के लिए एक नया आपराधिक विधेयक पारित किया। मौब लिंचिंग के लिए सजा का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकारों से सवाल किया कि उन्होंने 58 साल तक देश पर शासन किया, फिर वे मौब लिंचिंग को कानून में शामिल करने नहीं कर सके।

गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा के दौरान विपक्ष संहित सदस्यों को अपने जवाब में कहा कि आपने हमें (भाजपा) को गाली देने के लिए मौब लिंचिंग के लिए सजा का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकारों से सवाल किया कि उन्होंने 58 साल तक देश पर शासन किया, फिर वे मौब लिंचिंग को कानून में शामिल करने नहीं कर सके।

गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा के दौरान विपक्ष संहित सदस्यों को अपने जवाब में कहा कि आपने हमें (भाजपा) को गाली देने के लिए मौब लिंचिंग के लिए सजा का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली कांग्रेस सरकारों से सवाल किया कि उन्होंने 58 साल तक देश पर शासन किया, फिर वे मौब लिंचिंग को कानून में शामिल करने नहीं कर सके।



नई दिल्ली में बुधवार को संवाद के दौरान लोकसभा में चर्चा में आगे लेते गृहमंत्री अमित शाह।

भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगी, भारतीय बुधवार का असद में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए हैं। गृह मंत्रियों की स्थायी समिति द्वारा कई सिफारिशें करने के बाद सरकार ने विधेयकों को वापस लेने का फैसला किया और पिछले सप्ताह उनका पुनर्ग्राफित संस्करण पेश किया। भारतीय न्याय संहिता

समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान तब आया है जब पिछले सप्ताह संसद उल्लंघन की घटना पर मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पिछले चार दिनों की घटना के दौरान निचले 97 सदित 143 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि तीन विलों में आतंकवाद की स्पष्ट प्रभावशाली है और राज्य के खिलाफ अपराध' नामक एक नया खंड पेश करते हुए राजदौह को अपराध पर एसाम कर दिया गया है।

बहस का दौरान कांग्रेस, डीएसपी, टीएसपी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे। जवाब कई विपक्षी दल आयोगी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने की मांग करने वाले विधेयकों के बालोचक रहे हैं, केवल मुझे भर गैर-एनएस सदस्य सदन में मौजूद थे, जिनमें हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुदीन ओवैसी, बोजू जनता दल और बुजुन समाज का सांसद शमिल हैं। शासन के प्रति हैं और अप्राधिकारी ने दोनों दोषों के बावजूद इनके लिए जाकरारी देता है तो वह इस पर गैर-एनएस नामक सदस्य को नियमित बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा।

(शेष पेज 9)

कुछ घटनाओं को भारत-अमेरिका संबंधों से जोड़ना ठीक नहीं: पीएम



पार्यानियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्जू को निशाना बनाने की नाकाम साजिश को लेकर पीएम मोदी ने पहली बार की टिप्पणी

● कहा-भारत की प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है और अगर कोई जानकारी देता है तो वह इस पर गैर करेगा

शासन के प्रति है। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां अमेरिका संघीय अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने की पृष्ठभूमि में आई हैं निशाना गुरु नामक व्यक्ति सिख अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्जू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम कर रहा था, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता (शेष पेज 9)

## नकल उतारने की मुर्दू व पीएम ने की निंदा, दो और सांसद निलंबित

पार्यानियर समाचार सेवा। नई दिल्ली



सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के विवेद प्रदर्शन के दौरान तुरंगमूल कांग्रेस के नकल उतारने के बाद बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्रासुर भाजपा के सदस्यों ने इसकी कड़ी।

वहाँ उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर बकील अधिके गौमत ने तुरंगमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनजी के खिलाफ दिल्ली के फिरोज कालीन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

उपराष्ट्रपति की 'मिमीकी' घटना पर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए, नहीं करेंगे। इस भारी बवाल के बाद टीएसपी सांसद के कानून नियमों की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति की नियन्त्रण के लिए उनका विवाद जारी रहा। भाजपा के प्रयत्नों के बावजूद विवाद नहीं करते हैं।







## प्रशिक्षण के बाद 34 महिलाओं ने प्रमाणपत्र प्राप्त किये



पलवल। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोगार प्रशिक्षण संस्थान रत्नपुर पलवल में 33 बीपीएल महिलाओं को स्वामान बैंकों ने बैंकों द्वारा लोन लेकर अपना रोजगार खाल करने के लिए 13 दिवसीय जूट प्रोडक्ट उद्यमी बैच का समाप्त एवं मूल्यांकन किया। इसमें अजय कुमार अंग्रेजी अंसेसर एवं कोमल डोमेन अंसेसर ने मूल्यांकन किया। रवि शमा निदेशक ने सभी महिलाओं को धनिया में रोजगार खाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी का उत्साह बढ़ाते हुए बताया कि छोटे छोटे से बड़ा उद्यम स्थापित किया जा सकता है। और विनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

## नवनियुक्त जिला बार एशोशिएशन की टीम ने ली शपथ

वकीलों ने टीम का फूलमालाओं से किया स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



जिला बार एशोशिएशन का सेक्टर-12, कोट परियर के प्रांगण में नई नवनियुक्त कार्यकारियों का शपथ समारोह आयोजित किया गया। जिसमें निर्वाचित अधिकारी ने नवनियुक्त कार्यकारियों को पदभार संपूर्ण। उन्हें हुए प्रधान जोगिंद्र नवरत व महासचिव पवन पाराशर व अन्य टीम को वकीलों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस भौमिका परियोगियों द्वारा अधिकारी पूर्व प्रधान संजीव चौहान ने बोले हुए कहा कि नई टीम बिना भेदभाव के सभी वकीलों के लिए कार्य करेगी

जिला बार एशोशिएशन का सेक्टर-12, कोट परियर के प्रांगण में नई नवनियुक्त कार्यकारियों का शपथ समारोह आयोजित किया गया। जिसमें निर्वाचित अधिकारी ने नवनियुक्त कार्यकारियों को पदभार संपूर्ण। उन्हें हुए प्रधान जोगिंद्र चौहान ने कहा कि व परियोगियों का समस्या व परियोगियों के समस्या के लिए जल्द ही कोई समाधान निकाला जायेगा।

बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा को बैचोंने सुनेरेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी भी वकील की शिवदत वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि बार और बैचें बीच समन्वय स्थापित करना है। संस्थान द्वारा फ्रीजे, एसी रिपोर्टिंग, मोबाइल रिपोर्टिंग, सीसीटीवी कैमरा, मोटरसाइकिल सर्विसिंग, ब्लूटॉन मैनेजमेंट, वूमेन ट्रेलर, जूट प्रोडक्ट उद्यमी, टेडी बियर योग्यता, अंगरबती, धूपबती, अचार पापड़ इत्यादि कोर्स निशुल्क कराए जाते हैं।

प्रधान जोगिंद्र चौहान ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने बड़ी शांति से कराया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं।

बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा पूर्व मोनिटर सदस्य शिवदत वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि बार और बैचें बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा और किसी भी वकील की समस्या आती है तो वो उसका निवारण फरीदाबाद में बैठे हुए ही कर देंगे। चेयरमैन कुंवर दलपत सिंह व पूर्व

तुरंत उसका हल करेगी। मंच का संचालन पूर्व महासचिव धर्मवीर डागर एडवोकेट ने कहा। इस भौमिके पर वरिष्ठ अधिकारी जयवीर बीसलाल, पीके मित्रल, औपी यादव, राव संजीव, एदल सिंह रावत, नरेंद्र अंगी, कुंवर बालू सिंह, बंदना भाटी, प्रदीप पराम, सत्यवीर शर्मा, संजोव अंगी, भक्ते नैन, कंहैया लाल शर्मा, महेंद्र बैसलाल, भारत चंद्रीला, अनुज शर्मा, सर्वेंश कौशिक, अमित शर्मा, डीएस रावत, कमल भाटी, ओमप्रकाश कसाना, धर्मवीर नायर, आपी वर्मा, मनमीत कौर, कुलदीप जोशी, विजय यादव, मोनज कुमार, रिक्ष अरोड़ा, अशीष मसीह, तरुण अरोड़ा, मंशा पासवान, पुष्पा चौहान, रीमा डागर, मंजुला अरोड़ा, आपी चौधरी, रोहन शर्मा, बीरेंद्र धनखड़ आदि सैकड़ों वकील मौजूद थे।

## संक्षिप्त समाचार



पलवल। केसीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभांग उत्सव का हल करेगी। मंच का संचालन पूर्व महासचिव धर्मवीर डागर एडवोकेट ने कहा। इस भौमिके पर वरिष्ठ अधिकारी जयवीर बीसलाल, पीके मित्रल, औपी यादव, राव संजीव, एदल सिंह रावत, नरेंद्र अंगी, कुंवर बालू सिंह, बंदना भाटी, प्रदीप पराम, सत्यवीर शर्मा, संजोव अंगी, भक्ते नैन, कंहैया लाल शर्मा, महेंद्र बैसलाल, भारत चंद्रीला, अनुज शर्मा, सर्वेंश कौशिक, अमित शर्मा, डीएस रावत, कमल भाटी, ओमप्रकाश कसाना, धर्मवीर नायर, आपी वर्मा, मनमीत कौर, कुलदीप जोशी, विजय यादव, मोनज कुमार, रिक्ष अरोड़ा, अशीष मसीह, तरुण अरोड़ा, मंशा पासवान, पुष्पा चौहान, रीमा डागर, मंजुला अरोड़ा, आपी चौधरी, रोहन शर्मा, बीरेंद्र धनखड़ आदि सैकड़ों वकील मौजूद थे।

पलवल। केसीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभांग किया गया। इस प्रतियोगिता में केजीवन से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। जिसमें सर्वथ्रथम केजीवन के छात्रों ने दोहरा लालकर रिंग में बैल एक्जिट बिंग। इस खेल में प्रथम स्थान तेजस्वी, द्वितीय स्थान रोहित ने अपने नाम किया। केजी दूर के छात्रों ने रेस में दोहरा बोलत की कैप खेले और अब बंद किए। इस खेल में कैरिंग, न्याय, प्रतीक्षा और देवी और देव नाम किया गया। कक्षा प्रथम के छात्रों ने रेस में दोहरा बोलत की कैप खेले तथा डिप्पोजल गिलास द्वारा पिरामिड बनाया। इस खेल में दिव्यांशु, नैतिक, मयंक, दिव्या, रितेश, हर्षिता ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया और कक्षा दो के छात्रों ने रिंग रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें गर्व, लालपाणी, वेदिका, मयंक, सुर्वें व रितेश ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान अपने नाम किया। सभी छात्रों ने उत्साहावृक्ष फिल्म लिया तथा बेदरीन प्रदर्शन करके अपनी प्रतियोगिता का परिचय दिया। मंच का संचालन संवित तथा विद्यार्थी अंदर संपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक देवदत भारतीज एवं प्रशासनाचार्य सुनील अर्था द्वारा विजेता छात्रों को मेडल पहनकर सम्मानित किया गया तथा सभी छात्रों में खेल भावाना को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

बच्चों का सर्वांगीण विकास करना प्रतियोगिता का उद्देश्य



पलवल। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी-2023 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम के अंत में निदेशक देवदत भारतीज एवं प्रशासनाचार्य सुनील अर्था द्वारा विजेता छात्रों को मेडल पहनकर सम्मानित किया गया तथा सभी छात्रों में खेल भावाना को बनाए रखने के लिए एक खेल दिवाली दिया गया।

पलवल। बिजली निगम का लाइनमैन 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

## बिजली निगम का लाइनमैन 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजली निगम में तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए से हाथों गिरफ्तार

पलवल। बिजल







# **मदरसा शिक्षा बोर्ड रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित**

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रर मदरसा शिक्षा बोर्ड लखनऊ डा प्रियंका अवस्थी के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित कर छह हफ्ते में सरपाई मांगी है और पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उहाँे अवमानना में दंडित किया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी 24 को हाजिर रहने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मोहम्मद सलीम और दो अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि याचिका मदरसा कुरुनियां जौनपुर में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और नियुक्ति को वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। कालेज प्रबंधन में विवाद के कारण नियुक्ति को लेकर शिकायत की गई। उप सचिव ने रजिस्ट्रर की रिपोर्ट पर नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया और अनुमोदन निरस्त कर दिया गया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार



**वन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को चुनौती**  
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले 10 या 20 साल से कार्यरत दैनिक कर्मियों के अधिकार प्रभावित होते हैं तो भर्ती याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने पुष्टेंद्र सिंह और चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि पहले विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी पद दे उन्हें दफ्तराधिपति कर तृतीय श्रेणी पद की भर्ती की जा रही है। यदि चयन की अनुमति दी गई तो नियमित होने के हकदार दैनिक कर्मियों का हित प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मियों को समायोजित और नियमित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी 20 साल से कार्यरत दैनिक कर्मियों को न्यूनतम वेतन भूगतान करने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने नीति तैयार करने की कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किया है। इसलिए भर्ती पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पेड़ों के  
आसपास से कंक्रीट  
हटाने का आदेश दिया

नहीं दिल्ला। दिल्ला उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ों के आसपास से तुरंत कंक्रीट हटाने का बुधवार को निर्देश दिया और इस तरह के सौंदर्दीकरण के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पेड़ों के आसपास कंक्रीट लगाए जाने और इससे वृक्षों को हुए नुकसान के संबंध में एक शिकायत पर त्वरित कार्राई नहीं करने संबंधी अवमानना याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद ने कहा कि उह्ये अगस्त में पता चला कि डीडीए सौंदर्दीकरण के द्वारा ऐनवारी नाम स्टेप वर्क्सपेट्स

लिए भौकाजा कामा प्लस काम्पलक्स में पेड़ों के चारों ओर एक चबूतरे का निर्माण कर रहा है। न्यायमूर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, इस सौदाईकरण का क्या मतलब है? क्या आप फुटपाथ पर कंक्रीट संरचनाएं बनाते हैं? वह पेड़ों के लिए है। आप इनकी गतिविधि को प्रतिवर्धित कर रहे हैं? इसका क्या औचित्र है। अदालत ने वन विभाग के वकील से इस बात का विस्तृत जवाब दखिल करने को कहा कि शिकायत किए जाने के बावजूद पेड़ों की सुरक्षा के लिए कंक्रीटीकरण के खिलाफ उसके अधिकारियों ने कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की। इसने वन विभाग के वकील से कहा, मैं आपका विभाग बंद कर दूंगा। आप पूरी तरह से अक्षम हैं... 50 दिन के बाद आप इस पर तुरंत कैसे कार्रवाई करेंगे? यह सही दिशा में नहीं जा रहा है। यह दुखद है। अदालत ने कहा, प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों के आसपास से कंक्रीट ढांचा तुरंत हटाया जाए। इसने वन संरक्षक को पेड़ों के कंक्रीटीकरण से संबंधित आदेश के उल्लंघन और इसके खिलाफ उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।

## अपमानजनक पोस्ट दोक ने केलिए मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की भाजपा सांसद निश्चिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी कथित फर्जी और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने संबंधी अंतरिम अर्जी पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मोइत्रा को हाल में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। वह लोकसभा में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट का प्रतिनिधित्व करती थीं। उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता मोइत्रा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद दुबे और देहाद्रई के वकील को सुनने के बाद अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने प्रतिवादियों के वकील से जानना चाहा कि क्या मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच कोई लेन-देन हुआ था। मोइत्रा ने अक्टूबर में दायर अपनी याचिका में दुबे, देहाद्रई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स , सर्च इंजन गूगल,



**बंबई उच्च न्यायालय ने दल-बदल कानून में विलय पर संरक्षण को चुनौती मामले में केंद्र से जवाब मांगा**

भाषा। मुंब

बंबई उच्च न्याय  
में विलय कर लेने  
कानून के तहत उ  
से प्राप्त संरक्षण व  
माध्यम से दी ग  
सरकार को जवाब  
का निर्देश दिया।

सरकार को छह सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मेनन के वकील अहमद आब्दी ने दलील दी कि दल-बदल सामाजिक बुराई है तथा विधायकासांसद जनहित के कारण नहीं बल्कि सत्ता, धन के लालच में तथा कभी-कभी जांच एजेंसियों के डर से अपनी निष्ठा बदल लेते हैं। आब्दी ने कहा, इन सब बातों की मार मतदाता भगत रखा है।

मुख्य न्यायाधीश डी की उपाधाया और न्यायमूर्ति आरिफ़ डॉक्टर की खंडपीठ ने महान्यायवादी आर वेंकटरमनी को भी नोटिस जारी किया व्यक्तिके जनहित याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के चौथे अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। दसवीं अनुसूची दल-बदल कानून से संबंधित है। यह प्रावधान कहता है कि दो दलों के आपस में विलय कर लेने की स्थिति में दल-बदल के आधार पर (उहें) अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय मीडिया एवं विपणन पेशेवर तथा गैर सरकारी संगठन बनशक्ति की संस्थापक न्यासी मीनाक्षी मेनन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था। खंडपीठ ने केंद्र मतदाता संसद तो जा नहीं सकता, मतदाता बस अदालत ही आ सकता है। एक खास विचारधारा या घोषणापत्र के आधार पर बोट डाला जाता है लेकिन बाद में पर्याँ ही बदल जाती है। यह मतदाता के साथ विश्वासघात है। मेनन की अर्जी में अनुरोध किया गया है कि अदालत दसवीं अनुसूची में गजनीतिक दलों के विभाजन एवं विलय की व्यवस्था देने वाले अनुच्छेद को असंवैधानिक तथा उसके मूल स्वरूप के विरुद्ध घोषित करे। याचिका में कहा गया है कि नेता गुट या समूह में दल बदल करने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रक्रिया में मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जाता है।

वीवो पीएमएलए मामला: कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में चीनी स्पार्टफोन निर्माता वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया तिराव व्यक्तियों - लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों को 19 फरवरी को तलब किया है। आरोपत्र धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपाधिक धाराओं के तहत इस महीने की शुरूआत में दायर किया गया था ईडी ने दावा किया कि चारों आरोपियों की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में सक्षम बनाया जो देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था। धनशोधन रोधी एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की थी और चीनी नागरिकों तथा कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धनशोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में कर भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपए की भारी रकम मौं अवैध रुप से चीन भेजी गई थी कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वहाँ अपने नैतिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करती है और कानूनी अनुपालन के लिए समर्पित है।

अवध कायला खनन: मंगालय उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के तबादले का आदेश दिया

**शिलांग।** मेघालय उच्च न्यायालय ने अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने के चलते पूर्वी जैतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक जगपाल धनोआ को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच एस थांगछ्यू और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएपीदोह की पीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश बी के कटेकी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट दर्शाती है कि पुलिस अधीक्षक शायद अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रहे हैं। पीठ ने कहा, पुलिस अधीक्षक की विफलता पर, जैसा कि 19वीं अंतरिम रिपोर्ट से पता चलता है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें तुरंत मौजूदा पद से स्थानांतरित किया जाए।

मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी मांग की थी और अनुरोध नके खिलाफ अपमानजनक, ठेठे और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रसारित करने पर रोक लगाई जाना भी मांगा है। बाद में मोइत्रा नीची से सभी मीडिया घरानों और प्रसारणों ने उस चिप्पा और उत्तम

दिया गया। अदालत ने वकील से समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। मोइत्रा के वकील ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें हीरानदानी से उपहार मिले थे क्योंकि वे दोस्त थे, न कि संसद में सवाल पूछने के लिए। वकील ने दावा किया कि देहाई और दुबे अभी भी मोइत्रा के खिलाफ मानवनिकारक बयान दे रहे हैं और अत्याचार से उन्हें ऐसा नहीं मैरेहो जा

अदालत प्रयागराज के 12 अक्टूबर 23 के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि गरीब शिकायतकर्ता महिला भोलानाथ पांडेय के घर श्रमिक का काम करती है। अपीलार्थी और भोलानाथ पांडेय के बीच विवाद है। दबाव बनाने के लिए एफआईआर दो दिन देरी से दर्ज की गई है। जबकि कोई घटना ही नहीं हुई। कोर्ट ने कहा इस स्तर पर आरोपीं का परीक्षण नहीं किया जा सकता। मामला विचारणीय है।

## अपर पुलिस महानिदेशक को ग्रेचुरी भुगतान ने देरी पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर महानिदेशक पुलिस उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ को निर्देश दिया है कि ग्रेचुरी भुगतान में देरी के कारण बकाया देयों का भुगतान तीव्र रूप में तर अपार्टमेंट बॉलिंग नर्से वर्से पैर्सनल

# नवलखा के खिलाफ आतंकवादी कृत्य की साजिश एचने का फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं: उच्च न्यायालय

मजबूर करती है कि सभी

सहयोग के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती। दोनों पक्ष अब 'इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमजिंग टेक्नोलॉजीज' के तहत सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा सहित सात विशिष्ट उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जून में वाशिंगटन का दौरा किया जिससे दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नई गति आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सिर्टरबर में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए मोदी के साथ व्यापक बातचीत की।

चाहिए। धनखड़ के प्रति समर्थन में मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही में भाग लिया और उनके साथ एकता दर्शाने के लिए लगभग 10 मिनट तक खड़े रहे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने मिमिकी मुदे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आलोचना करने पर आरोप लगाया कि 10 साल के लंबे कार्यकाल के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में सेवानिवृत हो रहे हामिद अंसारी को विर्द्ध देते समय नंदें मोदी ने अंसारी का मजाक उड़ाया था और उनकी पहचान को उठाए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का विपश्यना सत्र पूर्व निर्धारित था और यह जानकारी सार्वजनिक थी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था, हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री 19 दिसंबर को विपश्यना सत्र के लिए जा रहे हैं। वह नियमित रूप से इस ध्यान सत्र के लिए जाते हैं। यह एक पूर्व निर्धारित और पूर्व घोषित कार्यक्रम है। इंडी ने इसमें पहले केजरीवाल को दो नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नेटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे।

## बंगाल के...

**नकल उतारने...**

अपमान बताने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे अक्सर राजस्वाभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या मुझे यह कहना चाहिए

उसके धर्म तक सीमित कर दिया था। सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान बनर्जी ने धनखड़ की नकल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस हरकत का वीडियो बनाते दिखे। बनर्जी के अनुसार, यह वीडियो टिकटॉक पर डिलाई गई थी।

बाद आया है। कात्याल को ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह वीडियो वर्कशॉपों के द्वारा लिया गया था।

क्याक म दालत हू। लाकसभा अध्यक्ष आम बिरला ने भी धनखड़ से मुलाकात कर अपनी चिंता अनजान म अनादर क

व्यक्त करते हुए कहा, यह चाकाने वाली बात है कि एक संसद ने इस धृगति कृत्य को वीडियो ग्राफी के जरिए प्रचारित करने का फैसला किया। जिसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने उत्तराधिकारी धनंखड़ के समर्थन में कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभापति के पद सर्वेधानिक पद हैं जिनकी लिए संसद परिसर में मौजूद बनजी ने कहा, हम हर किसी का सम्मान करते हैं।

## प्रवर्तन निदेशालय...

लिए वह बुधवार दोपहर करीब एक बजकर 30 मिनट पर खाना हुए। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को समन जारी करने के समय पर स्वाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के अधिवक्ता नोटिस का तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एक इन्फोसिसस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। पिछले कुछ महीनों में, इंडी ने इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख की पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री शरबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती (राज्यसभा में राजद सदस्य), चंदा यादव और गणिनी यादव के बयान दर्ज किए हैं।





